चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ
Chaudhary Charan Singh University, Meerut

पत्रांक : सम्बद्धता/1544
दिनांक :– 27.6.2023

सेवा में,

सचिव/प्राचार्य/प्राचार्या,
समस्त सम्बद्ध संस्थान/महाविद्यालय
सम्बद्ध चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।

विषय:– स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में सम्बद्धता हेतु NAAC मूल्यांकन अनिवार्य रूप से सम्पादित कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

कृपया उपरोक्त विषयक विश्वविद्यालय के पत्रांक: सम्बद्धता/644, दिनांक 15.05.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो कि शैक्षिक सत्र 2023–2024 में नवीन सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तारण हेतु NAAC मूल्यांकन अनिवार्य रूप से सम्पादित कराये जाने के सम्बन्ध में है।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उपर्युक्त प्रकरण को विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की आहूत बैठक दिनांक 23.05.2023 में प्रस्तुत किया गया। जिसमे मा0 कार्यपरिषद निम्न निर्णय लिया गया:–

" यू0पी0 परियोजना के सम्बन्ध में सी0आर0आई0एस0पी0 संस्था एवं प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में दिनांक 20.02.2023 को आहूत बैठक में लिये गये निर्णय को शिथिलता देते हुए शैक्षिक सत्र 2023–2024 हेतु पूर्ववत व्यवस्था रहेगी और निर्णय लिया गया है कि सम्बन्धित महाविद्यालयों को चेतावनी जारी की जाए कि वह आगामी सत्रों में अपने महाविद्यालयों में नैक ग्रेडिंग कराना सुनिश्चित करें। ऐसे महाविद्यालय जिनमे 2023–2024 में नैक ग्रेडिंग नही करायी जाएगी अथवा एस0एस0आर0 जमा नही की जाएगी उन पर शैक्षिक सत्र 2024–2025 में परास्नातक पाठ्यक्रमों में सम्बद्धता प्रदान किये जाने हेतु मा0 कार्यपरिषद द्वारा कठोर निर्णय लिया जाएगा।"

उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में आपको निर्देशित किया जाता है कि आप विश्वविद्यालय कार्यपरिषद द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

26.6.2023

कुलसचिव

प्रतिलिपि:–

01. सचिव कुलपति को मा0 कुलपति महोदया के संज्ञानार्थ।
02. सचिव कुलसचिव को कुलसचिव महोदय के सूचनार्थ।
03. प्रेस प्रवक्ता, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
04. प्रभारी, वेबसाइट, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

कुलसचिव